भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न स. 3956

उत्तर देने की तारीख 19.12.2024

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बढ़ावा

3956. श्री के. सी. वेणुगोपालः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों का वर्षवार और योजनावार ब्यौरा क्या है;

(ख) केरल में कार्यरत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की जिलावार संख्या कितनी है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या राज्यवार, विशेष रूप से केरल में कितनी है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान केरल राज्य में विभिन्न एमएसएमई योजनाओं के लिए स्वीकृत और जारी किए गए ऋणों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ग): सरकार देश भर में अपनी विभिन्न स्कीमों, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एमएसएमई की स्थापना, संवर्धन और विकास में सहायता प्रदान करती है। इन स्कीमों/कार्यक्रमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यमों हेतु ऋण गारंटी स्कीम, सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी), खरीद और विपणन सहायता स्कीम (पीएमएसएस), एमएसएमई कार्य-निष्पादन का उत्थान और गतिवर्धन (रैम्प), अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम, टूल रूम, प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी), राष्ट्रीय एससी/एसटी हब (एनएसएसएच), एमएसएमई चैंपियंस, पीएम विश्वकर्मा आदि शामिल हैं। एमएसएमई मंत्रालय ने विगत पांच वर्षों के दौरान एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:

i. एमएसएमई के वर्गीकरण हेतु नए संशोधित मानदंड।
ii. व्यवसाय करने में आसानी के लिए एमएसएमई हेतु "उद्यम पंजीकरण", 1.7.2020 से प्रभावी।
iii. जून, 2020 में शिकायत निवारण और एमएसएमई को पथ-प्रदर्शन सहायता सहित ई-गवर्नेंस के कई पहलुओं को शामिल करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल "चैंपियंस" का शुभारंभ।
iv. दिनांक 02.07.2021 से खुदरा और थोक व्यापारियों को एमएसएमई के रूप में समावेशन।
v. दिनांक 11.01.2023 को उद्यम सहायता प्लेटफार्म का शुभारंभ, ताकि प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को औपचारिक दायरे में लाया जा सके।
vi. आत्मनिर्भर भारत कोष के माध्यम से इक्विटी निवेश।
vii. एमएसई के लिए 2 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण उपलब्ध कराने तथा रोजगार के अवसरों का विस्तार करने हेतु 9,000 करोड़ रु. की आवश्यक निधि के निदेश के साथ ऋण गारंटी स्कीम का पुनर्निर्माण किया गया।
viii. 18 व्यवसायों में शामिल परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों को शुरु से अंत तक समग्र लाभ प्रदान करने के लिए दिनांक 17.09.2023 को 'पीएम विश्वकर्मा' स्कीम का शुभारंभ।

केरल में क्रियाशील पंजीकृत एमएसएमई की संख्या का जिला-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है। विगत पांच वर्षों के दौरान मंत्रालय की कुछ स्कीमों के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(घ) एमएसएमई मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली स्कीमें केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें हैं, जहां राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अनुसार निधि/ऋण का आबंटन नहीं किया जाता है।

****

अनुबंध-I

दिनांक 19.12.2024 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3956 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

केरल राज्य के लिए दिनांक 01/07/2020 से 15/12/2024 तक उद्यम और यूएपी के अंतर्गत पंजीकृत जिले-वार कुल एमएसएमई					
क्र. सं.	जिला	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	कुल
1	अलप्पुझा	99,308	920	48	1,00,276
2	एर्नाकुलम	1,60,865	4,877	458	1,66,200
3	इडुक्की	35,529	583	23	36,135
4	कन्नूर	79,350	1,065	77	80,492
5	कासरगोड	37,268	479	25	37,772
6	कोल्लम	97,699	1,338	74	99,111
7	कोट्टायम	70,789	1,214	85	72,088
8	कोझिकोड	1,08,926	1,570	151	1,10,647
9	मलप्पुरम	96,658	1,520	97	98,275
10	पलक्कड	1,26,461	1,210	109	1,27,780
11	पथानामथिप्टा	42,857	457	27	43,341
12	तिरुवनंतपुरम	1,82,171	1,616	109	1,83,896
13	त्रिशूर	1,33,552	1,823	155	1,35,530
14	वायनाड	27,587	359	24	27,970
	कुल:-	12,99,020	19,031	1,462	13,19,513
दिनांक 16/12/2024 02:55 पीएम के अनुसार सूचित।					

दिनांक 19.12.2024 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3956 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

1. पीएम विश्वकर्मा:

• दिनांक 17.09.2023 से 16.12.2024 तक पीएम विश्वकर्मा स्कीम के अंतर्गत 3-स्तरीय सत्यापन के बाद कुल पंजीकरणों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पंजीकरणों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	2,02,884
2.	अरुणाचल प्रदेश	1,579
3.	असम	1,04,956
4.	बिहार	1,06,379
5.	छत्तीसगढ़	1,14,621
6.	गोवा	17,374
7.	गुजरात	2,04,482
8.	हरियाणा	33,519
9.	हिमाचल प्रदेश	18,843
10.	जम्मू और कश्मीर	1,50,535
11.	झारखंड	34,337
12.	कर्नाटक	5,31,858
13.	केरल	20,877
14.	मध्य प्रदेश	2,24,374
15.	महाराष्ट्र	2,30,746
16.	मणिपुर	11,226
17.	मेघालय	243
18.	मिजोरम	2,660
19.	नागालैंड	2,901
20.	ओडिशा	92,378
21.	पंजाब	9,870
22.	राजस्थान	2,16,768
23.	सिक्किम	1,937
24.	तमिलनाडु	1
25.	तेलंगाना	69,229
26.	त्रिपुरा	20,124
27.	उत्तर प्रदेश	1,52,623
28.	उत्तराखंड	18,885
29.	पश्चिम बंगाल	1
30.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	714
31.	चंडीगढ़	241
32.	दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली	705
33.	दिल्ली	727
34.	लद्दाख	3,543
35.	लक्षद्वीप	671
36.	पुदुचेरी	560
	कुल	**26,03,371**

2. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

- वित्तीय वर्ष 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सहायता-प्राप्त इकाइयों की संख्या और संवितरित मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी के संदर्भ में पीएमईजीपी का राज्य-वार कार्य-निष्पादन निम्नानुसार है:

क्र. सं.	राज्य	सहायता-प्राप्त इकाइयों की संख्या				
		2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20
1	आंध्र प्रदेश	5,577	3,073	2,477	1,674	2,192
2	अरुणाचल प्रदेश	169	158	196	98	211
3	असम	2,417	2,596	3,855	2,939	2,603
4	बिहार	6,837	4,459	2,477	2,192	2,221
5	छत्तीसगढ़	2,379	2,543	3,020	2,718	2,811
6	गोवा	68	66	87	58	90
7	गुजरात*	3,000	3,071	4,143	2,854	3,983
8	हरियाणा	1,398	1,559	1,726	1,740	2,029
9	हिमाचल प्रदेश	974	930	1,274	1,208	1,226
10	जम्मू एवं कश्मीर	15,065	12,023	21,648	8,575	5,355
11	झारखंड	2,101	1,851	1,714	1,522	1,544
12	कर्नाटक	4,672	5,618	5,877	4,438	3,697
13	**केरल**	**3,389**	**3,129**	**2,789**	**2,389**	**2,438**
14	मध्य प्रदेश	5,292	5,957	8,082	4,854	2,168
15	महाराष्ट्र**	2,766	3,625	4,128	3,104	4,404
16	मणिपुर	348	545	1,139	1,556	1,173
17	मेघालय	280	306	699	359	377
18	मिजोरम	401	412	650	810	760
19	नागालैंड	517	469	1,241	740	1,109
20	ओडिशा	2,975	3,880	4,301	3,171	2,718
21	पंजाब	1,469	1,564	1,790	1,652	1,695
22	राजस्थान	1,678	2,037	2,599	2,772	3,025
23	सिक्किम	132	57	85	57	79
24	तमिलनाडु	6,814	6,140	5,972	5,188	5,172
25	तेलंगाना	2,503	2,540	2,906	2,025	2,178
26	त्रिपुरा	588	703	958	842	962
27	उत्तर प्रदेश	11,689	11,601	12,594	9,994	6,120
28	उत्तराखंड	1,354	1,803	1,836	2,249	1,844
29	पश्चिम बंगाल	1,919	2,126	2,305	2,070	2,222
30	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	135	121	162	155	93
31	चंडीगढ़	10	15	21	10	14
32	दिल्ली	50	72	100	74	93
33	लद्दाख	122	91	295	281	-
34	लक्षद्वीप	-	2	7	3	-
35	पुदुचेरी	30	25	66	44	64
	कुल	**89,118**	**85,167**	**103,219**	**74,415**	**66,653**

**** दमन और दीव सहित ** दादरा नगर और हवेली सहित***

3. <u>सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों हेतु ऋण गारंटी स्कीम (सीजीटीएमएसई):</u>

<u>सीजीटीएमएसई - गारंटी स्वीकृत</u>

(संख्या में)

क्र. सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	आंध्र प्रदेश	50,562	1,63,610	49,848	2,37,520	79,938
2	अरुणाचल प्रदेश	415	464	628	935	981
3	असम	14,070	12,158	14,918	21,195	34,556
4	बिहार	24,531	22,317	24,217	42,360	1,13,262
5	छत्तीसगढ़	14,022	12,970	9,670	17,733	25,845
6	गोवा	2,594	2,235	2,218	2,826	4,947
7	गुजरात	58,595	40,397	34,929	43,336	1,06,073
8	हरियाणा	25,916	18,499	22,285	30,343	48,455
9	हिमाचल प्रदेश	7,538	8,572	10,075	14,898	20,600
10	जम्मू और कश्मीर	12,887	21,371	38,352	51,431	53,295
11	झारखंड	15,340	14,996	12,953	21,090	34,800
12	कर्नाटक	68,572	50,974	41,028	53,766	1,35,959
13	**केरल**	**33,739**	**28,810**	**18,937**	**25,761**	**45,515**
14	मध्य प्रदेश	40,822	60,835	64,108	50,289	75,023
15	महाराष्ट्र	83,709	71,850	56,027	66,055	1,29,892
16	मणिपुर	939	830	1,294	2,268	1,580
17	मेघालय	1,153	1,063	886	1,410	1,693
18	मिजोरम	473	431	1,029	1,032	1,232
19	नागालैंड	917	1,120	1,692	1,813	1,563
20	ओडिशा	26,167	28,288	25,788	34,081	56,392
21	पंजाब	24,542	20,379	23,172	49,720	81,259
22	राजस्थान	41,289	32,883	38,622	72,391	85,848
23	सिक्किम	435	340	479	765	1,108
24	तमिलनाडु	89,725	61,535	44,897	61,883	1,13,815
25	तेलंगाना	39,162	22,021	24,009	29,792	41,940
26	त्रिपुरा	1,378	1,673	2,020	3,845	6,523
27	उत्तर प्रदेश	89,271	78,655	86,616	1,30,769	2,47,258
28	उत्तराखंड	11,158	9,671	10,048	16,296	26,361
29	पश्चिम बंगाल	37,667	29,789	37,033	54,440	1,06,073
30	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	264	329	374	495	600
31	चंडीगढ़	1,778	1,274	1,382	1,706	2,459
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	447	726	447	505	1,039
33	दिल्ली	24,917	12,757	15,810	21,458	35,127
34	लद्दाख	26	110	205	467	637
35	लक्षद्वीप	52	72	11	25	7
36	पुदुचेरी	1,578	1,588	1,013	1,087	2,418
	कुल	**8,46,650**	**8,35,592**	**7,17,020**	**11,65,786**	**17,24,073**

4. उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) स्कीम

राज्य-वार लाभार्थियों की कुल संख्या

क्र. सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (दिनांक 13.12.2024 तक)
1	आंध्र प्रदेश	650	2295	1424	5760	2803
2	अरुणाचल प्रदेश	119	136	1087	4236	1309
3	असम	1350	1165	15350	19339	8346
4	बिहार	1713	3929	6079	12265	4591
5	छत्तीसगढ़	822	1814	5266	5759	4587
6	गोवा	0	119	279	1510	522
7	गुजरात	706	1580	9651	14939	5844
8	हरियाणा	1350	2014	3213	7688	1499
9	हिमाचल प्रदेश	707	1317	1790	5923	1724
10	जम्मू और कश्मीर	0	494	3863	35280	8112
11	झारखंड	993	2570	6156	8380	2944
12	कर्नाटक	234	3316	6117	14301	3037
13	**केरल**	**727**	**2335**	**7150**	**8873**	**1899**
14	मध्य प्रदेश	1263	2706	44248	42055	35764
15	महाराष्ट्र	1313	3946	15468	16669	5741
16	मणिपुर	72	403	1281	1722	557
17	मेघालय	129	213	1209	2374	818
18	मिजोरम	0	87	210	1122	221
19	नागालैंड	0	527	6810	16561	685
20	ओडिशा	907	2559	8616	10348	8973
21	पंजाब	1255	2447	7269	10368	5933
22	राजस्थान	1268	2293	8820	12807	10127
23	सिक्किम	400	1140	903	2004	722
24	तमिलनाडु	1647	3002	9433	16445	2959
25	तेलंगाना	2078	2629	4606	11548	2255
26	त्रिपुरा	435	1384	331	4072	1502
27	उत्तर प्रदेश	4380	8156	23137	25918	7968
28	उत्तराखंड	525	1298	5511	7835	3982
29	पश्चिम बंगाल	1118	1928	8251	12197	3198
30	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	166	128	2856	2502	93
31	चंडीगढ़	0	0	118	276	130
32	दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	142	280	608	467	326
33	दिल्ली	935	1349	1385	4170	1797
34	लद्दाख	0	0	50	94	593
35	लक्षद्वीप	0	0	0	498	0
36	पुदुचेरी	260	61	147	737	121
	कुल	**27664**	**59620**	**218692**	**347042**	**141682**

5. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी):

एमएसई-सीडीपी एक मांग आधारित केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकारें अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मौजूदा क्लस्टर की सामान्य आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्ताव भेजती हैं। यह स्कीम वर्तमान में 1744.87 करोड़ रु. के कुल बजट परिव्यय के साथ वित्तीय वर्ष 2025-26 तक जारी है।

विगत पांच वर्षों के दौरान स्कीम की प्रगति:

वर्ष	पूर्ण परियोजना		
	सीएफ़सी	आईडी	कुल
2019-20	11	11	22
2020-21	8	12	20
2021-22	3	13	16
2022-23	5	7	12
2023-24	10	30	40

*सीएफ़सी- सामान्य सुविधा केंद्र

#आईडी- अवसंरचना विकास

6. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच)

"राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच) स्कीम का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और केंद्र सरकार की लोक प्रापण नीति में यथानिर्धारित सीपीएसई द्वारा 4% खरीद अधिदेश को पूरा करना और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बीच उद्यमशीलता का संवर्धन करना है। कौशल/क्षमता निर्माण, बाजार संपर्क, वित्त सुविधा, निविदा बोली भागीदारी आदि में एससी-एसटी को व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए स्कीम के अंतर्गत कई पहलें शुरू की गई हैं।

विगत पांच वर्षों [अर्थात, वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक] और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 (नवंबर 2024 तक) के दौरान राष्ट्रीय एससी-एसटी हब स्कीम के अंतर्गत केरल राज्य सहित लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या निम्नानुसार है:-

राज्य	लाभार्थियों की संख्या
आंध्र प्रदेश	2385
अरुणाचल प्रदेश	842
असम	6727
बिहार	2303
छत्तीसगढ़	1197
गोवा	4
गुजरात	5146
हरियाणा	1247
हिमाचल प्रदेश	1024
जम्मू एवं कश्मीर	212

झारखंड	5033
कर्नाटक	10046
केरल	575
मध्य प्रदेश	4318
महाराष्ट्र	15633
मणिपुर	806
मेघालय	658
मिजोरम	500
नागालैंड	1478
ओडिशा	5466
पंजाब	4010
राजस्थान	2648
सिक्किम	149
तमिलनाडु	9702
तेलंगाना	4926
त्रिपुरा	609
उत्तर प्रदेश	16614
उत्तराखंड	660
पश्चिम बंगाल	6514
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	30
चंडीगढ़	84
दादरा और नगर हवेली तथार दमन और दीव	30
दिल्ली	2713
लद्दाख	8
लक्षद्वीप	1
पुदुचेरी	100
समग्र योग	**114398**

7. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) स्कीम:

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) स्कीम एमएसएमई मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है। आईसी स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार/जिला-वार निधियां आबंटित/जारी नहीं की जाती हैं; बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी के लिए प्रतिपूर्ति के आधार पर देश भर में फैले उद्योग संघों/संगठनों के माध्यम से एमएसएमई की सुविधा के लिए निधियां जारी की जाती हैं। केरल राज्य में, विगत 5 वर्षों [वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 (दिनांक15.12.24 तक)] के दौरान आईसी स्कीम के अंतर्गत सहायता-प्राप्त उद्यमों की कुल संख्या 9 है, जिसमें जारी की गई निधि 28,82,981 रु. है।